कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला

E-Mail:- dfo_tons@yahoo.co.in, Tel:- 01373223328

पंत्राक– 3703 /12–1 दिनांक,पुरोला, 9/06/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के आराकोट कलीच, डामटी थुनारा मोटर मार्ग निर्माण में हस्तान्तरित कुल 5.6325 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नवत है:–

क्र0 सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.265 है0 डामटी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उक्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु रू0 3139161.00 NEFT Application no. 6116696434 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा जमा की जा चुकी है **(संलग्नक–1)**। प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि मौजा–डामटी थुनारा के खाता सं0 00023 के खसरा सं0–1779/6.364 है0, 1781/0.201 है0, 1783/16.334 है0 कुल रक्वा– 22.909 है0 भूमि उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–1868/x-3-24/01(261)/2016 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है **(संलग्नक–2)**।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूलय (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3700553.00 कैम्पा कोष में NEFT Application no. 6116964344 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा जमा की जा चुकी है **(संलग्नक–3)**।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	शर्त सं0–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि दिनांक 25.06.2024 Transection ID-WO 41014229062400 के द्वारा रू0 1961293.00 कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है **(संलग्नक–4)** तथा एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है **(संलग्नक–5)**।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2019 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 03710010125229 कार्पोरेश बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11भूतल, सी0जी0ओ0	शर्त सं0–4 के अनुपालन में कैम्पा कोष में जमा धनराशि को आनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही जमा किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

648/वनभूमि
25/06/25

	काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाये एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय। धनराशि का हस्तान्तरण Online Portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	
5	निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है **(संलग्नक–6)**।
6	State Government will provide the original hard copy of geo-regerenced digital map of proposed road uploaded at C (iv) Part01 online.	शर्त सं0–6 के अनुपालन में डिजिटल मेप की हार्ट कॉपी संलग्न की जा रही है **(संलग्नक–7)**।
7	State Government may upload KML file at V Prat-1 online showing the link road portion of the proposed road towards the end point.	शर्त सं0–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल पूर्व में अपलोड की जा चुकी है।

अतः उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(डी0पी0 बलूनी)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने बावत अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डी0पी0 बलूनी)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

ED/ Amin

EE
26-6-2025

Scanned with OKEN Scanner

संरक्षित वन घोषित

1/259220/2024

ई० पत्रावली संख्या–79899

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–3
संख्या– 1868/X–3–24/01(261)/2016
देहरादूनः दिनांकः 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद उत्तरकाशी में मोरी–आराकोट–कलीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 05.6325 है० एवं इसके विस्तार मार्ग के निर्माण हेतु 04.5375 है०, इस प्रकार कुल हस्तान्तरित 10.17 है० वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ङ (अन्य कारणों से बंजर भूमि) की 22.909 है० क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खेत/ खसरा संख्या	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उत्तरकाशी	डामटी थुनारा	23	1779	06.364	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ङ
				1781	00.201	
				1783	16.344	
				योग	22.909	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	E-77°52' 1.333"	N- 31°0' 37.052"
2	E- 77°52' 3.909"	N- 31°0' 33.594"
3	E- 77°52' 2.152"	N- 31°0'30.291"
4	E- 77°51' 57.564"	N- 31°0' 24.695"
5	E- 77°51' 56.576"	N- 310' 22.443"
6	E- 77°52' 4.925"	N- 31°0'23.078"
7	E- 77°52' 10.713"	N-31°0' 20.979"
8	E- 77°52' 16.894"	N- 31°0' 21.389"
9	E-77°52' 20.709"	N- 31°0'24.878"
10	E- 77°52' 20.823"	N- 31°0' 27.817"

Scanned with OKEN Scanner

11	E-77°52' 22.635"	N- 31°0' 34.201"
12	E- 77°52' 7.989"	N- 31°0'36.431"
13	E- 77°52' 1.421"	N- 31°0'37.827"

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 06-12-2024 13:59:52

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

संख्या:– 1668 (1)/X–3–24/01(261)/2016,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
7. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
10. उप जिलाधिकारी, पुरोला।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 06-12-2024 14:48:56

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification.1868/X-3-24 Dehradun, dated.06.December 24 for general information.

औद्यानिकी वन प्रभाग, ...
पत्र सं0.................................
... सं0.................................
...0.................................
....

Government of Uttarakhand
Forest Section- 03
File No. 1868/X-3-24/1(261)/2016
Dehradun Date- 06 ~~November~~, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)anga land (for other agricultural use barren land) total 22.909 hectare as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Uttarkashi to the forest department for compensatory plantation against the 05.6325 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of **Mori-Arakot-Kalich-Thunara-Damti road** and 04.5375 hectare for its expansion, total 10.17 in District Uttarkashi, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Khata Number	Khasara Number	Total area acquired for C.A (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Uttarkashi	Daamti Thunara	23	1779	06.364	Category-9(3)anga
				1781	0.201	
				1783	16.344	
				Total	22.909	

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

Part- 2 Boundary details

The details of the proposed boundary pillars (including G.P.S. locations) for the demarcation of the plantation area are as following.

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	E-77°52' 1.333"	N- 31°0' 37.052"
2	E- 77°52' 3.909"	N- 31°0' 33.594"
3	E- 77°52' 2.152"	N- 31°0'30.291"
4	E- 77°51' 57.564"	N- 31°0' 24.695"

Scanned with OKEN Scanner

5	E- 77°51' 56.576"	N- 31°0' 22.443"
6	E- 77°52' 4.925"	N- 31°0'23.078"
7	E- 77°52' 10.713"	N-31°0' 20.979"
8	E- 77°52' 16.894"	N- 31°0' 21.389"
9	E-77°52' 20.709"	N- 31°0' 24.878"
10	E- 77°52' 20.823"	N- 31°0' 27.817"
11	E-77°52' 22.635"	N- 31°0' 34.201"
12	E- 77°52' 7.989"	N- 31°0'36.431"
13	E- 77°52' 1.421"	N- 31°0'37.827"

Signed by
Kahkashan Naseem
Date: 06-12-2024 13:59:27

(Kahkashan Naseem)
Additional Secretary.

Copy:- Sent to the following for information and action.

1. Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh Road, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4. Principal Chief Conservator of Forest, and Nodal Officer, Forest Conservation Uttarakhand, Dehradun.
5. Chief Executive Officer, CAMPA,Uttarakhand.
6. Commissioner, Garhwal, Pauri.
7. Conservator of Forests, Yamuna Circle, Uttarakhand, Dehradun.
8. District Magistrate, Uttarkashi.
9. Divisional Forest Officer, Tons Forest Division, Purola.
10. Sub Divisional Magistrate, Purola.
11. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
12. N.I.C. Secretariate Campus.
13. Guard File.

By Order,

Signed by
Dhirendra Kumar Singh
Date: 06-12-2024 14:48:36

(Dhirendra Kumar Singh)
Deputy Secretary.

Scanned with OKEN Scanner

शर्त सं0 03

विषय :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.6325 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 की दरों में यदि भविष्य में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी दरों से प्रयोक्ता ऐजेन्सी लो0नि0वि0 पुरोला द्वारा धनराशि जमा कर दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

शर्त सं0 05

विषय :– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.6325 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु मांगी धनराशि का प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन विभाग की देख–रेख में उचित वृक्षारोपण योजना तैयार की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला

Scanned with OKEN Scanner

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के पत्र संख्या 1128/वन भूमि दिनांक 02 अगस्त 2020 के द्वारा विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा-डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी(अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 है. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 08बी0/ यू0सी0पी0/ 06/ 183/2016/ एफ0सी0/ 626 दिनांक 19-07-2017 एवं वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 213/ FP/ UK/ROAD/ 16964/2015 दिनांक 20 जुलाई 2017 के द्वारा विभाग को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 01 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम ग्राम डामटी थुनारा तहसील मोरी के फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी पुरोला ने तहसीलदार मोरी के पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षति0वृक्षा0/2015 दिनांक 05 अक्टूबर 2015 को संस्तुति सहित अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी भूमि ग्राम डामटी थुनारा की 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, एतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के अनुरोध पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी पुरोला/तहसीलदार मोरी की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 तथा शासनादेश संख्या 2173/ XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप विकासखण्ड मोरी में आराकोट-

Scanned with OKEN Scanner

विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा- डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी (अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 हे. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम ग्राम डामटी थुनारा की फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्बा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 8337/ग्यारह-विविध/2019-20 दिनांक 10 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।

2- तहसीलदार, मोरी ।

3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।

4- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
10/9/2020

Scanned with OKEN Scanner

सैद्धान्तिक स्वीकृति

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/183/2016/एफ0सी0/626

दिनांक: 19/07/2017

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद– उत्तरकाशी में मौरी–आराकोट–कलीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.6325 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : **ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या**–FP/UK/ROAD/16964/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 865/X-4-16/1(261)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/16964/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24.11.2016 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–उत्तरकाशी में मौरी–आराकोट–कलीच–थुनारा–डामटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.6325 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.265 है0 डामटी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। **धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।**
5. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide the original hard copy of geo-referenced digital map of proposed road uploaded at C (iv) Part-I online.

7. State Govt. may upload KML file at 'C' Part-I online showing the link road portion of the proposed r towards the end point.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तह विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तों के** साथ **प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 11.265 हे0 डामटी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation को जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 281 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

Scanned with OKEN Scanner